राजस्थान सरकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
217 / 2017	12.10.2017	23.01.2025

उनवान

1. बनवारी पुत्र श्री प्रभात जाति अहीर निवासी हुडियाखुर्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादी

बनाम

1. दशरथ पुत्र अमरसिंह
2. कृष्ण पुत्र अमरसिंह
3. कमला बेवा अमरसिंह
4. शर्मिला पुत्री अमरसिंह
5. राजवीर पुत्र दीना
6. माया देवी बेवा श्रीचन्द
7. सविता पुत्री श्रीचन्द
8. कविता पुत्री श्रीचन्द
9. छोटन पुत्र मानसिंह सभी जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाखुद्र तहसील मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड

.........प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री अजयपालसिंह योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 741 रकबा 52 एयर, 742 रकबा 50 एयर, 743रकबा 1.16 है0, 744 रकबा 51 एयर, 745 रकबा 49 एयर, 746 रकबा 51 एयर, 747 रकबा 57 एयर वाके गॉम हुडिया खुर्द तह0 बहरोड नई तहसील मांढण मे स्थित है उक्त खसरा नम्बरान के मिन वादी हिस्सा–1/4 का व प्रतिवादी सं0 1 लगा. 4 हिस्सा–1/4 के तथा प्रतिवादी सं0 5 हिस्सा–1/4 का तथाा प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 हिस्सा–1/12 के तथा प्रतिवादी सं0 9 हिस्सा–1/16 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज है बल्कि मौके पर उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा कियाहुआ है जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 741 सालिम व खसरा नम्बर 743 मे से 55 एयर तरफ उत्तर का मिन वादी के हिस्से मे आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 743 मे से 61 एयर तरफ दक्षिण का भाग व खसरा नम्बर 742, 744,745,746, 747, सालिम संयुक्त रूप से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के हिस्से मे आये हुऐ है इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विभाजन करवाने के लिए तैयार है लेकिन कभी कोई खातेदार उपस्थित नही होता है तो कभी कोई खातेदार उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड)

नही होता है इसलिए भूमि का बंटवारा होने मे कानूनी अडचन आ रही है। जबकि मिन वादी को मेरे खातेदारी हिस्से का विभाजन करवाने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए मिन द्वारा यह दावा पेश किया जा रहा है। इसलिए उक्त आराजी का मौके परकिये गये बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकासमा किया जाने की डिक्री पारित किया जाने एवं प्रतिादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा. 10 की तामिल रजिस्टर्ड डाक द्वारा होने के बावजूद भी न्यायालय मे तारीख पेशी पर असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 06.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वकील वादी द्वारा दावा मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वीरसिंह पुत्र बनवारीलाल के तथा पी.ड.–2 बिल्लू पुत्र रामनिवास के तथा पी..–3 सतीश पुत्र राजाराम के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 एवं हाल राजस्व नक्शा संवत 2038 की सत्यप्रतिलिपी पेश की गई। पत्रावली मे प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है इसलिए पत्रावली को वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुऐ पत्रावली मे वर्णित बाहम बंटवारा के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जाकर प्रकरण का निस्तार किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील वादी की बहस पर गनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 के मुताबिक खसरा नम्बर 741, 742, 743, 744,745, 746, 747 वाके ग्राम हुडियाखुर्द वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। लेकिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा होना अंकित किया गया है लेकिन आराजी मुतनाजा का पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा होने बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। इसलिए आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक विभाजन किया जाना उचित नही है। वाद ग्रस्त भूमि को सहखातेदरी की भूमि मानते हुऐ वादी के वाद पत्र को दिनांक 12.08.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया।

तहसीलदार मांढण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे वादग्रस्त भूमि की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 24.10.2024 को तैयार करवाकर दिनांक 22.11.2024 को इस न्यायालय मे पेश की गई । तहसीलदार द्वारा पेश उक्त कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध किसी भी खातेदार/पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । कुर्रे रिर्पोट राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही पायी जाने पर वादी का वाद कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 741 रकबा 52 एयर, 742 रकबा 50 एयर, 743रकबा 1.16 है0, 744 रकबा 51 एयर, 745 रकबा 49 एयर, 746 रकबा 51 एयर, 747 रकबा 57 एयर वाके गॅाम हुडिया खुर्द तह0 बहरोड नई तहसील मांढण को तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक तकसीम किया जाकर खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक उपरौक्त खसरा नम्बरान का अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्मा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
217 / 2017	12.10.2017	23.01.2025

उनवानः

1. बनवारी पुत्र श्री प्रभात जाति अहीर निवासी हुडियाखुर्द तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादी

बनाम

1. दशरथ पुत्र अमरसिंह
2. कृष्ण पुत्र अमरसिंह
3. कमला बेवा अमरसिंह
4. शर्मिला पुत्री अमरसिंह
5. राजवीर पुत्र दीना
6. माया देवी बेवा श्रीचन्द
7. सविता पुत्री श्रीचन्द
8. कविता पुत्री श्रीचन्द
9. छोटन पुत्र मानसिंह सभी जाति अहीर निवासी ग्राम हुडियाखुद्र तहसील मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड

.........प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री अजयपालसिंह योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 741 रकबा 52 एयर, 742 रकबा 50 एयर, 743रकबा 1.16 है0, 744 रकबा 51 एयर, 745 रकबा 49 एयर, 746 रकबा 51 एयर, 747 रकबा 57 एयर वाके गाम हुडिया खुर्द तह0 बहरोड नई तहसील मांढण को तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक तकसीम किया जाकर खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के मुताबिक उपरौक्त खसरा नम्बरान का अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)